

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

:: शुद्धि पत्र ::

पटना-15, दिनांक.....
संख्या-7/आरोप-06-03/2016सा0प्र0...../ विभागीय अधिसूचना संख्या-12342 दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री हृदय नारायण पाण्डेय, तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (viii) में निहित प्रावधान के तहत अधिसूचना तामिला की तिथि से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना में अंकित "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (viii) में निहित प्रावधान" के स्थान पर "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) संशोधित अधिसूचना संख्या-3/एम0166/2006का0 2797 दिनांक 20.08.2007 के नियम-14 (ix) में निहित प्रावधान" पढ़ा जाय।

अधिसूचना संख्या-12342 दिनांक 09.09.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।

श्री हृदय नारायण पाण्डेय, तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर सम्प्रति निलंबित,
मुख्यालय मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)
पावती

मैं..... सम्प्रति..... पद का धारक
उपर्युक्त अनिवार्य सेवानिवृत्ति-आदेश की मूल नोटिस की प्रति स्वीकार करता हूँ।

हस्ताक्षर -
पदनाम -
स्थान -
दिनांक -

ज्ञापांक-7/आरोप-06-03/2016सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) सी0डी0 के साथ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/आरोप-06-03/2016सा0प्र0..... 17027/पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-52556 दिनांक 18.08.2016 अनुवर्ती पत्रांक पत्रांक-66266 दिनांक 03.10.2016 एवं पत्रांक-70917 दिनांक 26.10.2016 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 21.12.2016 में मद संख्या-03 के प्रसंग में/कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) एवं मुंगेर तथा महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के माध्यम से संबंधित न्यायिक पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।